

जापोक नं०- 1846

Date - 4/11/24

अनुसूची 21-अथवा 21/अथवा 112।

सम्पत्ति अन्वेषण-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र नं० 1454/2024

आवेदन नं० 1454/2024

चूंकि श्री C.M. State Bank of Jodhpur के माते पास आविष्कृत किया गया है।
संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्पत्तियों पर और अन्वेषण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये कृष्य के अनुसार विवरण 2)

इसलिप में इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सम्पत्तियों और अन्वेषणों के बारे में बड़ी 1 में और उक्त सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 12/10/24 से Tell Jodhpur तक जासाया की गई और वे उक्त जासाली के बारे में सम्पत्तियों और अन्वेषणों में यथा जाता है।

क्रम नं०	सू. अर्थात् का विवरण	निष्काशन की तारीख	2) दस्तावेज प्रकृत और पृष्ठ	पत्तों के भाग		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति निर्दिष्ट		
				निष्काशन	रावेदार	जिल्द नं०	पृ०	पृ०
	Muzam-11, Sabalpur, Khata No- 46 (1st), 2 (2nd) and No- 886, 887, 888, 1st No- 856/990, 863, 932/989, Area 13.24 Acre.							

Handwritten signature

को दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें। **BB Shukla**

2. अन्वेषण-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। इससे, कि इनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक सामान दर्ज करें।

इस वक की प्रमाणित करता है कि उपपुका संव्यवहार और अवभारों पर जोर, जसा सम्पत्ति की प्रमाणित करने वाले किराी अन्य संव्यवहार और अवभार मू पता नहीं चलः

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - *[Signature]*

(पदनाम) - *[Signature]*

तलासी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की ओर निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) - *[Signature]*

(पदनाम) - *[Signature]*

कार्यालय *Dist sub Registrar
Dhule*

तारीख *11/11/24*



[Signature]

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा गथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण की ओरुतार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही सम्पत्तियों की निबन्धन दातावेजों से दिखाया गया हो; तो यैसी दातावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्वेन्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहिनो और अनुक्रमणियों (इन्वेन्शन) की प्रविष्टियों देखाया जाहरो हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि लेगा चाहते हो अथवा जिन्हे विनिश्चित सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जहगत हो उन्हें तलासी स्वर्ब करना होगा। विहिता नीस का गुगलान करने पर बहिनो और अनुक्रमणियों उनके तामने रख दी जायेगी।

क) किन्तु चुंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलासी अपने परतका सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलासी परिणाम की विरती भूत के लिए किराी नी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चुंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं करे है और चुंकि उसने दाता पड़े गये संव्यवहारों और अवभारों के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किराी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पडता हो।

*Search made by
[Signature]*